

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-156/2018/329

दिनांक : 12/4/18

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
झुन्झुनू/श्रीगंगानगर/डूंगरपुर/जोधपुर।

विषय : आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को विशिखानु (इन्टर्नशिप) प्रशिक्षण हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के प्रशासनिक विभाग के अनुमति पत्र क्रमांक प. 25(9)चिस्वा/2/2012 दिनांक 08.05.12 के द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 06.10.10 के अनुसार आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को विशिखानु (इन्टर्नशिप) प्रशिक्षण अवधि 06 माह का कार्यक्रम निर्धारित करने हुए शेष रहें 06 माह के प्रशिक्षण हेतु उक्त अधिसूचना के बिन्दू संख्या 06 के अनुसार इस विभाग के फार्मसी/पीएचसी/ग्रामीण औषधालय अथवा जिला अस्पताल में उक्त प्रशिक्षण पूरा करने का विवरण अंकित है।

अतः आपको आदेश दिये जाते हैं कि इस विभाग को अग्रेषित निम्नांकित छात्रों को प्रशिक्षण हेतु स्वीकृति में अंकित किसी भी संस्थान में प्रशिक्षण करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का श्रम करें:-

क.सं	छात्र का नाम	पता	इन्टर्नशिप संस्थान
1.	डॉ० श्रीकान्त भारद्वाज	पुत्र श्री राधेश्याम भारद्वाज निवासी बस स्टेण्ड के पास, वार्ड न० 18 तह. खेतड़ी जिला झुन्झुनू।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू।
2.	डॉ० नीलम चन्दानी	पुत्री श्री जगदीश प्रसाद चन्दानी निवासी 4/344, हाउसिंग बोर्ड जिला झुन्झुनू।	
3.	डॉ० रवि गुर्जर	पुत्र श्री मूलचन्द गुर्जर निवासी वार्ड न. -04, सैनीपुरा पोस्ट बड़ा गांव तह० उदयपुरवाटी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।
4.	डॉ० लोकेन्द्र सिंह	पुत्र श्री अभय सिंह, निवासी ग्राम शाहपुर पोस्ट गूतां तह० बानसूर जिला अलवर।	
5.	डॉ० दीपक कुमार यादव	पुत्र श्री गट्टु लाल यादव निवासी ग्राम व पोस्ट बरबोदनिया तह० सागवाडा जिला डूंगरपुर।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर।
6.	डॉ० सीमा तंवर	पुत्री नेपाल सिंह सिसोदिया निवासी प्लॉट न० 37 खसरा न० 17/82 एकता नगर, नान्दड़ी बनाड रोड, जोधपुर।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

दिनांक : 12/4/18

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-156/2018/329

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
4. संबंधित छात्रों को पालनार्थ।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।